अतारांकित प्रश्न संख्या : 20
उत्तर देने की तारीख : 02.02.2021

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

20. **श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डीः**
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों के साथ 60:40 के वित्तपोषण पैटर्न को स्वीकृति प्रदान कर अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को संशोधित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) छात्रवृत्ति के नए पैटर्न के अंतर्गत छात्रों को वार्षिक कुल कितनी सहायता दी जानी है;
(घ) क्या सरकार का उद्देश्य राज्यों की मदद से अनुसूचित जाति के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए उनके पंजीकरण संख्या को बढ़ाने का है;
(ङ) यदि हां, तो क्या छात्रों के बीच पैसे के वितरण की पुरानी प्रणाली के बजाए उसे छात्रों के खातों में सीधे अंतरित किया जाएगा; और
(च) यदि हां, तो इस नई प्रणाली से इस योजना में होने वाली जालसाजी को किस हद तक कम किए जाने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार ने एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के निधीयन पैटर्न में संशोधन किया है और वर्ष 2017-18 से 2019-20 की तीन वर्ष की अवधि के लिए स्कीम की औसत मांग के 60:40 के केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों में मामले में 90%) के शेयरिंग अनुपात को प्रति वर्ष 5% की वार्षिक वृद्धि के साथ अपनाया है।

(ग): छात्रों को प्रदान की जाने वाली कुल वार्षिक सहायता में स्कीम के अंतर्गत पाठ्यक्रम समूह के लिए निश्चित दरों के अनुसार पाठ्यक्रम की पूर्ण अप्रतिदेय ट्यूशन फीस और शैक्षणिक भत्ता शामिल होगा।

(घ): जी, हां। संशोधित स्कीम का लक्ष्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभिज्ञात किए जाने वाले सबसे गरीब एससी परिवारों पर प्रभाव डालना है।

(ड.) और (च): वर्ष 2021-22 से स्कीम में केंद्रीय शेयर को डीबीटी मोड से सीधे ही छात्रों के बैंक खाते में जारी किया जाएगा, जिसमें धोखा-धड़ी में कमी आएगी।

स्कीम, समय से वितरण, व्यापक जवाबदेही, सतत निगरानी और कुल पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित है और निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना को समाप्त करने के लिए यह स्कीम सुदृढ़ साइबर सुरक्षा के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से चलाई जाएगी। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड, स्कूल कमेटियों, माता-पिता और शिक्षक संघ बैठकों में विचार-विमर्श और अन्य जन जागरूकता उपायो के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जागरूकता अभियान भी आरंभ किए जाएंगें, जो दुरूपयोग को भी रोकेंगे।

*****